

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 408**  
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय:- किसानों को प्रशिक्षण**

**408. सुश्री कंगना रनौत**  
**श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:**  
**श्री प्रवीण पटेल:**  
**श्री आलोक शर्मा:**  
**श्री मनीष जायसवाल:**  
**डॉ. राजेश मिश्रा:**

**क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**

(क) भारत में सहयोगमूलक परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है और इससे किसानों को किस प्रकार लाभ मिलेगा;

(ख) क्या किसानों को इसके अंतर्गत विकसित उपकरणों या प्रणालियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हज़ारीबाग, रामगढ़ और सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और अब तक प्रशिक्षित किसानों की संख्या के साथ-साथ किसानों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षित करने के नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)**

(क) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्य सरकारों और आईसीएआर के सहयोग से किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह विभाग कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और अच्छी कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाने हेतु एक केंद्रीय प्रायोजित योजना, "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन (आत्मा)" को कार्यान्वित करता है ताकि फसल उत्पादन और कृषक समुदाय की कृषि आय में वृद्धि हो सके। इस योजना में सतत कृषि विकास के लिए उन्नत और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु किसानों के ज्ञान और कौशल के उन्नयन की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) केंद्रीय प्रायोजित योजना 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता' जिसे आत्मा योजना के नाम से जाना जाता है, 2005 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में, देश के 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 739 जिले इस योजना के अंतर्गत आते हैं। यह योजना देश में विकेंद्रीकृत और मांग आधारित किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को अनुदान सहायता जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रदर्शन यात्राओं, किसान मेला, 'किसान हित समूहों' को संगठित करने और प्रगतिशील किसानों के क्षेत्र में फार्म स्कूलों की

स्थापना के माध्यम से किसानों के बीच नवीनतम कृषि तकनीकों के प्रसार में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरक बनाना है।

सरकार ने राज्य सरकारों के विस्तार अधिकारियों और किसानों के बीच प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से नई कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्थापित किए हैं। केवीके की गतिविधियों में विभिन्न कृषि प्रणालियों के अंतर्गत प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता की पहचान करने के लिए खेत पर परीक्षण; किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन; ज्ञान और कौशल उन्नयन के लिए किसानों की क्षमता विकास; और किसानों के लिए उपलब्धता के लिए गुणवत्ता वाले बीज, रोपण सामग्री और अन्य प्रौद्योगिकी इनपुट का उत्पादन शामिल है। किसानों के बीच उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए, केवीके द्वारा बड़ी संख्या में विस्तार गतिविधियाँ शुरू की जाती हैं।

**(घ)** विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों में नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों के ज्ञान और कौशल को विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे एक्सपोजर विजिट, किसान-वैज्ञानिक-बातचीत, प्रदर्शन, किसान मेला और फार्म स्कूल के माध्यम से उन्नत किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 2769 किसानों को रामगढ़, 719 किसानों को हजारीबाग जिले झारखंड राज्य में और मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र के 10025 किसानों को आत्मा, केवीके और विभाग की अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

\*\*\*\*\*